

दिनांक-12.06.18

अधिवक्ता श्री सुनील कांकर ने अभियुक्तगण की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया। विचार बाद आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सुनील कांकर।

फरियादी एवं आहतगण कमलेश, परशुराम, कैलाशी तथा नेतराम सहित अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर। उन्होंने फरियादीगण की ओर से मेमो पेश किया।

फरियादी एवं आहतगण की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री सुनील कांकर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहतगण ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 चार काउण्ट, 325 विकल्प में 325/34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 325, 294, 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 चार काउण्ट, 325 विकल्प में 325/34 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)